DIRECTOR WOMEN & CHILD DEVELOPMENT HARYANA

(Advertisement)

Applications are invite for appointment of Members of Juvenile Justice Boards and Chairperson & Members of Child Welfare Committees under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act,2000 (as amended in 2006) for following districts and categories.

I Members of Juvenile Justice Boards total five posts for District Fatehabad, Karnal, Palwal, Rewari and Yamunanagar. (one for each district) out of which Karnal and Yamunanagar post is for women only.

Oualification:-

- i The Social Worker to be appointed as Member of the Board shall be a person not less that 35 years of age.
- i i He/She should be post-graduate degree in social work, health, education, psychology, child development or any other social science discipline.
- iii. He/She should have been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to child welfare for at least 7 years.
- iv Domicile of Haryana.
- II Chairperson of Child Welfare Committees: 6 Posts for districts: (Gurgaon, Jhajjar, Mewat, Rohtak, Sonepat and Yamunanagar only) and Member of Child Welfare Committees (39 Posts) for district Fatehabad (1), Gurgaon (3), Hisar (2), Kaithal (2), Kurukshetra (3), Mewat (3), Narnaul (4), Panchkula (3), Panipat (3), Palwal (3), Rewari (1), Rohtak (3), Sonepat (3), Sirsa (3) and Yamunanagar (2)

Qualification:-

- A person is not less than 35 years of age.
- Graduate degree in Social Work, Psychology, Child Development, Education, Sociology, Law Criminology and where such a person is not available, a person with atleast Graduate degree in any of the Social Science disciplines having minimum experience of 7 years of in respective field.
- A person is not available, a person with at least a Graduate Degree in any of the Soscial Science disciplines.
- A person to be selected as Member of Committee shall have either of the following qualification:
 A teacher, A doctor, or a Social Worker who has been involved in work

Tenure of IIB & CWC members

concerning children.

- The Committee shall have a **tenure of five years** and the tenure of Chairperson and members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.
- The Chairperson and Members of the Committee shall be eligible for appointment for a maximum of **two consecutive terms**.
- **Note 1**: No person shall be considered for selection as a Chairperson/Member Child Welfare Committee, if he/she,
 - 1. has been convicted under any law;
 - 2. has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human right violations or immoral act;
 - 3. is holding such other full time occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee.
 - 4. does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under, and in such a case the selection committee

shell after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

- **Note 2:** The member of the Board/Committee shall be paid as travel and sitting allowance, Rs. 500/- (Rs. Five hundred only) per sitting/meeting.
- Note 3: Applicant who are eligible will send their applications and Bio-Data along with their certificates of educational qualifications and experience certificate submit the same to concerned Distt. Programme Officer, Women & Child Development Department. .by 28-2-2014. District Programme Officers will scrutinize the applications as per eligiblity and will submit the applications of eligible candidates to D.C. Office. Futher District Programme Officer will send the applications with comments/recommendations of D.C. to Hqr Panchkula by 31/03/2014 positively.
- **Note 4:** Procedure for applying: Applicant give the information in following format: Person applied for two separate post will provide two separate applications form.
 - i. Name of the post
 - ii. Name of Candidate
 - iii. Father / husband Name
 - iv. Permanent Address
 - v. Correspondence Address
 - vi. Telephone Number / Fax No. / Email ID
 - vii. Date of Birth (as per certificate of High School)
 - viii. Present Age
 - ix. Educational Qualification
 - x. Experience of Social Work and other child related fields
 - xi. Domicile of Haryana State.

Renu Phulia, IAS
Director,
Women & Child Development Department Haryana,
Bays No.: 15-20, Pocket-II, Sector-4, Panchkula
Phone No.: 0172-2571151
Website: www.wcdhry.gov.in
Email ID: spsu.icps@gmail.com

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा। (विज्ञापन)

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संशोधित अधिनियम 2006) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों (सामाजिक कार्यकर्ता) के पदों एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित जिलों एवं वर्गों के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

- 1. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिये (कुल 5 पद) फतेहाबाद, करनाल पलवल ,रेवाड़ी तथा यमुनानगर (प्रत्येक जिला में एक पद),जिला करनाल तथा यमुनानगर में केवल महिलाओं हेतु । योग्यतायें:–
 - आयु:— बोर्ड के सदस्यों के रुप में नियुक्त किये जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
 - शैक्षणिक योग्यता:— वह सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा सामाजिक विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो।
 - अनुभव:— वह कम से कम सात वर्ष तक बाल कल्याण से संबंधित प्रशासनिक उपायों की योजना तथा कार्यन्वयन में सक्रिय रुप से अंर्तविलत रहा है।
 - हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण ।
- 2. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के लिये कुल 6 पद :— (जिला गुड़गाँव, झज्जर, मेवात, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर) तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य के लिये कुल 39 पद :— (जिला फतेहाबाद (1), गुड़गाँव (3), हिसार (2), कैथल (2), कुरुक्षेत्र (3), मेवात (3), नारनौल (4), पंचकूला (3), पानीपत (3), पलवल (3), रेवाड़ी(1), रोहतक (3), सोनीपत (3), सिरसा (3) तथा यमुनानगर (2) योग्यतायें:—
 - आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम न हो।
 - वह समाजकार्य मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, समाज शास्त्र, विधि, क्रिमिनोलोजी, अपराध शास्त्र के विषयों में स्नातक की उपाधि रखता हो।
 - सामाजिक विज्ञान डिस्पलिन्ज में से किसी एक में स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को विचारा जा सकता है।
 - बाल कल्याण समिति के सदस्य का उम्मीदवार निम्निलिखित में से कोई एक योग्यता रखता हो :—
 शिक्षक, डाक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों से संबंधित कार्य मे कार्यरत रहा हो।

बोर्ड एवं समिति के सदस्यों / अध्यक्षों का कार्यकाल :-

- बोर्ड एवं समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ स्वंयमेव समाप्त हो जायेगा।
- बोर्ड एवं सिमति के अध्यक्ष और सदस्य लगातार दो अविधयों तक ही नियुक्त किये जा सकते है।

नोट 1:—कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति एवं बोर्ड के अध्यक्ष / सदस्य के रुप में नियुक्तिय के लिये विचाराणीय नहीं होगा, यदि वह :

- 1. किसी विधि के अधीन सजायफता हो।
- 2. बच्चों से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिक नियुक्त करने अथवा मानवाधिकार के उल्लघंन या अन्य किसी अनैतिक कार्य मे शामिल रहा हो।
- 3. कोई ऐसा पूर्णकालिक (Full Time) व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह समिति के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय तथा ध्यान न दे सकता हो।
- 4. इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन विहित अर्हताएं तथा अनुभव पूरा न करता हो, ऐसे मामलों में चयन समिति जांच कर लेने के बाद तथा ऐसे तथ्यों के सिद्व होने पर उसके आवेदन को रद्व करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की गई सूचि में से अगले व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी।

- नोट 2. सिमिति एवं बोर्ड के कार्यकर्ता को प्रति बैठक 500/- रुपये की दर से यात्रा/बैठक भत्ता दिया जायेगा।
- नोट 3. योग्य आवेदक अपना आवेदन तथा बायो—डाटा, शैक्षणिक योग्यतायें एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सिहत संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिहला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में 28.02.2014 तक जमा करवा दें। जिला कार्यक्रम अधिकारी आवेदन पत्रों की समीक्षा करके योग्य उम्मीदवारों के आवेदन उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवायें और उसके उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उपायुक्त की टिप्पणीयों/अनुशंसा सिहत आवेदन दिनांक 31.03.2014 तक मुख्यालय को अवश्यमेव भिजवाना सुनिश्चित करें।
- नोट 4. आवेदन करने के लिये प्रक्रिया :— आवेदक अपना आवेदन निम्न प्रोफार्मा पर उपलब्ध करवायें। दो पदों पर आवेदन करने के इच्छुक दो अलग—2 आवेदन उपलब्ध करवायें।
 - पद का नाम
 - ग. आवेदक का नाम
 - III. पिता / पति का नाम
 - ıv. स्थाई पता
 - v. पत्राचार पता
 - vi. दुरभाष न0 / फैक्स न0 / ईमेल आई0डी0 /
 - vii. उच्च विद्यालय के प्रमाण पत्र अनुसार जन्म तिथि
 - vIII. वर्तमान आयु
 - ıx. शैक्षणिक योग्यतायें
 - x. सामाजिक कार्य व संबंधी क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
 - xı. हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण-पत्र।

रेनु फुलिया, आई०ए०एस० निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा बेज न0 15—20, पॉकेट —ा, सैक्टर—4, पंचकूला। दूरभाष न0 0172—2571151 बैबसाईट www. wcdhry.gov.in ईमेल आईडी spsu.icps@gmail.com